11/2/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशकार सरकार अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 RTA पर अंतिम एकपक्षीय बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया क्रम 1 के संयुक्त खाते की विवादित आराजीयात वाके ग्राम थामली खाता सं० नया 155 पुराना 153 की किता 7 रकबा 7.14 हैं. एवं खाता संख्या नया 156 पुराना 152 की किता 1 रकबा 3.39 हैं. स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया क्रम 1 जाति से मीणा हैं जो परम्परागत हिन्दू विधि से शासित हैं। प्रार्थीगण के वंशवृक्ष के नंदलाल की निसंतान मृत्यु दिनांक 1/7/05 को हो गई तथा मृतक की बेवा अप्रार्थीया क्रम 1 ने अपने पति के संयुक्त परिवार से संबंध विच्छेद कर अपने पति की सम्पत्ति में अपने हक हकूकों को समाप्त कर थामली से अपनी सुकूनत तर्क कर ग्राम पापड़ली में नरेश कुमार मीणा के साथ नाता विवाह कर लिया, तभी से अप्रार्थीया क्रम 1 बतौर पत्नि अपने पति नरेश कुमार मीणा के साथ रहकर जीवन निर्वाह कर रही है। मृतक नंदलाल की मृत्यु उसके पिता रामकिशन के जीवनकाल में ही हो गई थी। रामकिशन की मृत्यु दिनांक 25/2/20 को हुई जिसके बाद नामांतरण संख्या 69 दिनांक 30/6/20 के जरिये मे हल्का पटवारी ने [illegible] का नाम सजरे में [illegible] के प्रार्थीगण [illegible] है तथा विवादित आराजी में [illegible] क्रम 1 का 1/4 प्रार्थी क्रम 2 का 1/4, प्रार्थी क्रम 3 का 1/4 व प्रार्थी क्रम 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा लिखा है। नामांतरण संख्या 69 से [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उनवान.. बनाम..

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11/2/21	में गलत दर्ज हुये नाम के आधार पर उक्त आराजी द्वारा 1/5 हिस्सा आराजीयात को तृतीय पक्ष हित अन्तरण एवं हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत, बाधा एवं व्यवधान कारित कर रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीया क्रम 1 को तामील बाद क्रम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वह विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत, बाधा एवं व्यवधान न करे एवं विवादित आराजीयात के 1/5 हक हिस्सा आराजी को रहन, बय एवं तृतीय पक्ष हित अन्तरण एवं हस्तान्तरण न तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्टों कारिन्दों प्रतिनिधियों से करावें। हमने उभयपक्ष बहस वकील प्रार्थीया पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक है कि प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित हो तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हो। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीया क्रम 1 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] क्रम 1 को तामील [illegible] की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] विवादित आराजीयात [illegible] हिस्से को रहन, बय एवं तृतीय पक्ष हित अन्तरण एवं हस्तान्तरण न तो स्वंय करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत, बाधा एवं व्यवधान कारित नहीं करें ना अपने प्रतिनिधियों से करावें	

uol

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner